डिकी पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
ईशाक खां पुत्र अली खां, कौम– तेली, नि0 पाबुमाली, तह0 शिव।		तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0 का0 अधिनियम।

राजस्व वाद संख्याः– 161/2018

दिनांक :– 17·6·19

उपस्थितः– 1. बृजमोहन कुमावत वादी अधिवक्ता।
2 तहसीलदार शिव।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पाबूमाली, तहसील शिव के खसरा न0 587/484, 589/484 रकबा कमशः 33.18, 28 बीघा कुल रकबा 61.18 बीघा भूमि में अंकित नाम ईशेखां पुत्र अलीखां के नाम की प्रविष्ठी के स्थान पर ईशाक खां पुत्र अलीखां घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

खर्चा पक्षकार अपना – अपना वहन करेंगे।

आदेश आज तारीख 17.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाडमेर

(प्रतापसिंह आई.ए.एस)
सहायक कलक्टर, शिव
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
ईशाक खां पुत्र अली खां, कौम– तेली, नि0 पाबुमाली, तह0 शिव।		तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0 का0 अधिनियम। राजस्व वाद संख्या :– 161/2018

17.06.19	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वादी ने इस आश्य का वाद प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी की भूमि खसरा न0 587/484, 589/484 रकबा क्रमशः 33.18, 28 बीघा कुल रकबा 61.18 बीघा भूमि ग्राम पाबूमाली तह0 शिव में अवस्थित है। वादी का वास्तविक एवं रेकर्डेड नाम ईशाक खां पुत्र अली खां हैं लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता देहांत पर ईशे खां पुत्र अलीखां दर्ज कर दिया। जिसके संबंध में वादी को कोई जानकारी नही रही वादी के आधार कार्ड राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक बचत खाता पास बुक, व अन्य दस्तावेजो में भी वादी का नाम ईशाक खां पुत्र अलीखां लिखा हुआ होने से वादी राजस्व रेकर्ड मे भी ईशेखां पुत्र अलीखां के स्थान पर अपना वास्तविक एवं शुद्ध नाम ईशाक खां पुत्र अली खां घोषित करवाना चाहता है। हमने वाद पंजियन कर वाद प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। जिस पर प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादी का नाम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। साथ ही वकील वादी की बहस सुनी तथा पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं तथा वर्तमान जमाबंदी आधार कार्ड राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक बचत खाता पास बुक, व अन्य दस्तावेजो में भी वादी का नाम ईशाक खां पुत्र अलीखां लिखा हुआ होने से तथा पत्रावली अभीलेख में किसी प्रकार की आपति प्रस्तुत नही होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पाबूमाली, तहसील शिव के खसरा न0 587/484, 589/484 रकबा क्रमशः 33.18, 28 बीघा कुल रकबा 61.18 बीघा भूमि में अंकित नाम ईशेखां पुत्र अलीखां के स्थान पर ईशाक खां पुत्र अलीखां घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं । तदनुसार डिक्री पर्चा जांरी हो। निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। **सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)** **शिव, जिला बाडमेर** सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाडमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 13:23:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: